सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/212 दर्ज तिथिः–27.06.2022

1. जगदीश प्रसाद पुत्र पूरणमल
2. रोहिताश पुत्र पूरणमल
   समस्त बालिग जातियान बागडा ब्राह्मण निवासीयान थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.............वादीगण

बनाम

1. बिशनसहाय पुत्र रामसहाय
2. महेश पुत्र बिशनसहाय
3. राजेश उर्फ सुरेश पुत्र बिशनसहाय
4. सन्तो पत्नी बिशनसहाय
5. ललिता देवी पत्नी मुकेश
6. मन्जू पत्नी राजेश उर्फ सुरेश
7. प्रिया देवी पत्नी महेश
   समस्त जातियान बागडा ब्राह्मण निवासीयान पटेलों की ढाणी, थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादीगण अधिवक्ताः– श्री कमलेश सैनी।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 03.07.2023

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली की सुक्ष्म ... इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 3178/858/0.08 है0, 3181/865/0.15 है0 वाकै ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी सालिम वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

2. वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद विधिवत तामील प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा–कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा–कार्यवाही अमल में लाने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की कोई आवश्यकता नही है।

3. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गयेः–
   1. जमाबन्दी संवत्–2073–76 वाकै ग्राम थानागाजी (प्रदर्श–01)
   2. भू नक्शा प्रति खसरा संख्या 3181/865 वाकै ग्राम थानागाजी (प्रदर्श–02)
   3. भू नक्शा प्रति खसरा संख्या 3178/858 वाकै ग्राम थानागाजी (प्रदर्श–03)

4. वादी ने अपने दावे के समर्थन में बयान गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त बयान गवाह साक्ष्य स्वीकार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गयेः–
   1. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र पूरणमल शर्मा जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–01)
   2. रोहिताश कुमार पुत्र पूरणमल शर्मा जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–02)
   3. हीरालाल पुत्र सेढूराम जाति बलाई निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–03)

5. वाद–पत्र में इस के उपरान्त बहस विद्वान अभिभाषक वादी एकतरफा में सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 3178/858/0.08 है0, 3181/865/0.15 है0 वाकै ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें। अन्त में वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

6. मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् एवं हल्फनामे गवाहान का अवलोकन किया । वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र की पुष्टि में जमाबन्दी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested

2073–2076, नक्शा खसरा संख्या 3181/865, नक्शा खसरा संख्या 3178/858, पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 21.12.2021 कार्यालय तहसीलदार थानागाजी, पत्र पटवार हल्का थानागाजी दिनांक 25.10.2021 पेश किये है, से आराजी विवादित खसरा संख्या 3178/858/0.08 है0, 3181/865/0.15 है0 वाकै ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है तथा वादीगण का यह कथन भी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

7. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः–

1. ***स्वामित्व एवं कब्जाः–*** वाद पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2073–76 3178/858/0.08 है0, 3181/865/0.15 है0 वाकै ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी पेश की है से आराजी विवादित खसरा संख्या 3178/858/0.08 है0, 3181/865/0.15 है0 वाकै ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी में अंकित है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।

2. ***सुविधा का संतुलनः–*** मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।

3. ***अपूरणीय क्षतिः–*** वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाकर *डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा संख्या 3178/858/0.08 है0, 3181/865/0.15 है0 वाकै ग्राम थानागाजी* तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कब्जा काश्त में अर्थात फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested

बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखंड अधिकारी थानागाजी–अलवर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022 / 212 दर्ज तिथिः–27.06.2022

1. जगदीश प्रसाद पुत्र पूरणमल
2. रोहिताश पुत्र पूरणमल

समस्त बालिग जातियान बागडा ब्राह्मण निवासीयान थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.............वादीगण

बनाम

1. बिशनसहाय पुत्र रामसहाय
2. महेश पुत्र बिशनसहाय
3. राजेश उर्फ सुरेश पुत्र बिशनसहाय
4. सन्तो पत्नी बिशनसहाय
5. ललिता देवी पत्नी मुकेश
6. मन्जू पत्नी राजेश उर्फ सुरेश
7. प्रिया देवी पत्नी महेश

समस्त जातियान बागडा ब्राह्मण निवासीयान पटेलों की ढाणी, थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादीगण अधिवक्ताः– श्री कमलेश सैनी।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

:–पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाकर *डि[illegible]या जाता है कि हाल*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 3178/858/0.08 है0, 3181/865/0.15 है0 वाकै ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

उक्त पर्चा डिक्री की प्रति संबंधित को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

उक्त पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 03.07.2023 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त सरे–इजलास जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested